भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 987
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषक खाद्य उत्पादों का वितरण

987. श्री राजकुमार रोतः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रदान किए जा रहे पोषण का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसके लिए आवंटित वार्षिक बजट और वितरित की जा रही खाद्य उत्पादों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पोषण वितरण प्रक्रिया संचालित की जा रही है तथा शेष राज्यों में अपनाई जा रही प्रक्रिया क्या है और उक्त राज्यों में पोषण की गुणवत्ता जांच के लिए अपनाया गया तंत्र क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के लिए गुणवत्ता जांच रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले पोषक खाद्य उत्पादों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार और वितरित किया जाता था, जबकि वर्तमान में एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेका प्रणाली लागू की गई है, जिसके कारण राजस्थान में गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सभी राज्यों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पोषक खाद्य उत्पादों को वितरित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत, पोषण परिणामों में सुधार के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान

कराने वाली माताओं और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) को अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। देश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत विर्निदष्ट पोषण मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को टेक-होम राशन (टीएचआर), सुबह के नाश्ते और पके हुए गर्म भोजन (एचसीएम) के रूप में अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय स्वाद और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू और व्यंजन विधि(रेसपी) तय करने और मिलेट(श्री अन्न), सब्जियों, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूरक पोषण के लिए सामग्री, व्यंजनों और मेनू का चयन स्थानीय स्वाद के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है और इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध मिलेट(श्री अन्न), दालें, सब्जियां, मेवें और वसा शामिल होते हैं। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

मिशन पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संबंधित योजना में एसएचजी की भागीदारी सहित खरीद के मॉडल पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 12 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बच्चे के जन्म के छह माह तक और छह माह से छह वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पात्रता को विनियमित करने के लिए एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम 2022 जारी किए। इन नियमों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सतर्कता दिशानिर्देशों और अन्य मानदंडों के अनुसार खरीद की पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि टीएचआर की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप हो।

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 14 जुलाई 2026 के पत्र संख्या पीए/178/2024-सीपीएमयू द्वारा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

को लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे अनुपूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं/राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित परीक्षण किया जाना है।

राजस्थान राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पांच आईसीडीएस परियोजनाओं के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) से अनुपूरक पोषण की आपूर्ति प्रायोगिक आधार पर की जा रही है। राज्य की शेष 358 आईसीडीएस परियोजनाओं में अनुपूरक पोषण (एसएनपी) की आपूर्ति राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) द्वारा की जा रही है। 2022-23 से, कॉनफेड द्वारा आपूर्ति किए गए अनुपूरक पोषण के सभी नमूने एनएबीएल प्रयोगशाला परीक्षण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। इसलिए, राज्य के अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं देखी गई है।

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जारी की गई निधि

		(करोड़ रुपये)
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2025-26 में जारी की गई निधि**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8.1
2	आंध्र प्रदेश	759.76
3	अरुणाचल प्रदेश	118.5
4	असम	1548.67
5	बिहार	905.43
6	चंडीगढ़	9.87
7	छत्तीसगढ़	518.22
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5.92
9	दिल्ली	150.21
10	गोवा	19.74
11	गुजरात	699.13
12	हरियाणा	67.12
13	हिमाचल प्रदेश	328.59
14	जम्मू एवं कश्मीर	401.62
15	झारखंड	429.26
16	कर्नाटक	863.64
17	केरल	283.81
18	लद्दाख	16.41
19	लक्षद्वीप	0.82
20	मध्य प्रदेश	937.45
21	महाराष्ट्र	1405.45
22	मणिपुर	199.99
23	मेघालय	182.04
24	मिजोरम	52.69
25	नागालैंड	146.29
26	ओडिशा	911.27
27	पुदुच्चेरी	4.02
28	पंजाब	190.73
29	राजस्थान	843.51

30	सिक्किम	18.21
31	तमिलनाडु	636.6
32	तेलंगाना	209.2
33	त्रिपुरा	154.73
34	उत्तर प्रदेश	2145.42
35	उत्तराखंड	271.05
36	पश्चिम बंगाल	1333.9
कुल		**16777.37**
